भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3347
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

आईईपीएफ निधि का सीएसआर कार्यकलापों के लिए उपयोग

3347. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दावा न किए गए लाभांश, बांडों पर ब्याज और दावा न किए गए अन्य निवेशों के वर्ष 2022-23 के अंत में लगभग 5,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में विगत 5-6 वर्षों के दौरान यह धनराशि तीन गुना हो गई है; और
(ग) क्या सरकार इस धन को कल्याणकारी कार्यक्रमों अथवा सीएसआर कार्यकलापों के लिए खर्च करने की योजना बना रही है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)
(क) और (ख): वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2022-23 के अंत में, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ़) के साथ अदावाकृत लाभांश, बांड पर ब्याज और अन्य अदावाकृत निवेश 5,714.51 करोड़ रूपए थे। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में आईईपीएफ़ में अदावाकृत राशि 8237.20 करोड़ रूपए (अलेखापरीक्षित आंकड़ा) है। वित्त वर्ष 2019-20 में आईईपीएफ में अदावाकृत राशि 4310.36 करोड़ रुपये थी।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आईईपीएफ की राशि को कल्याणकारी कार्यक्रमों या सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है। आईईपीएफ के तहत राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(3) में उल्लिखित सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

****